न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 15/2011
प्रकरण दर्ज तिथि :— 07.02.2011
जीसीएमएस नम्बर :— 2011/00005

1. खेताभाई पुत्र स्व. जसकरण उर्फ जसदान उम्र 52 जाति चारण निवासी कुशालपुरा

वादीगण

बनाम

1. श्रीमती सुगन कंवर पत्नि स्व. जसकरण उर्फ जसदान उम्र 52 जाति चारण निवासी कुशालपुरा
2. श्री मानसिंह पुत्र स्व. जसकरण उर्फ जसदान उम्र 52 जाति चारण निवासी कुशालपुरा
3. श्री छतरसिंह उर्फ बाबुसिंह पुत्र स्व. जसकरण उर्फ जसदान उम्र 52 जाति चारण निवासी कुशालपुरा
4. श्री श्यामसिंह पुत्र स्व. जसकरण उर्फ जसदान उम्र 52 जाति चारण निवासी कुशालपुरा
5. श्री प्रभुदान पुत्र स्व. जसकरण उर्फ जसदान उम्र 52 जाति चारण निवासी कुशालपुरा
6. श्री धनपतराज पुत्र स्व. जसकरण उर्फ जसदान उम्र 52 जाति चारण निवासी कुशालपुरा
7. श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व. जसकरण उर्फ जसदान उम्र 52 जाति चारण निवासी कुशालपुरा
8. श्रीमान् राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार रायपुर
9. श्रीमान उपपंजीयन अधिकारी रायपुर
10. श्रीमान राजस्थान सरकार बजरिये जिला कलक्टर पाली

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री विरेन्द्र सैन वादी उपस्थित
2 प्रतिवादी अधिवक्ता श्री भूपैन्द्र सैन एवं विकास आसरवा, कल्याण सिंह उदावत उपस्थित

निर्णय **दिनांकः 16.12.2025**

वादी की ओर से वकील श्री विरैन्द्र सैन द्वारा दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि मौजा कुशालपुरा भु. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पीपलिया तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 368 रकबा 69 बीघा 15 बिस्वा चाही प्रथम खसरा नम्बर 369 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा गै.मु. बेरा खसरा नम्बर 370 रकबा 0—06 बिस्वा गै. मु. रास्ता कुल खसरा 3 कुल क्षेत्रफल रकबा 71 बीघा 5 बिस्वा स्थित है। खसरा नम्बर 367 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 371 रकबा 12 बीघा व खसरा नम्बर 381 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 383 रकबा 36 बीघा कुल 67 चाही प्रथम स्थित है। जिसमें जसकरण जी का हिस्सा आता है। इसमे जसकरण के हिस्से को लेकर ही विवाद है, अन्य हिस्से के विषय में अन्य सहकाश्तकार के कोई विवाद नहीं है इसीलिए उन्हे पक्षकार बनाये जाने कि इस मुकदमे में आवश्यकता नही है। उक्त आराजी को आगे वाद में वादग्रस्त आराजी से संबोधन किया जायेगा। वाद पत्र कि चरण संख्या ए व बी में वर्णित भूमियो के खातेदार काश्तकार स्व. श्री जसकरण उर्फ जसदान पुत्र श्री स्व. हनुमनत उर्फ हणुतदान जी जाति चारण निवासी कुशालपुरा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

खातेदार काश्तकार थे। जिनका स्वर्गवास हो चुका है। स्व. जसकरण जी उर्फ जसदान पुत्र हमुमन्तदान उर्फ हणुतदान जी कौम चारण निवासी कुशालपुरा ने अपने जीवन काल में कृषि भूमियो का पारिवारिक बंटवाडा फैमेली सेटलमेन्ट रूपी वसीयतनामा अपने जीवनकाल में उनके पुत्रगण व पत्नि के साथ दिनांक 28/8/1998 को टाईप करवाकर वादी व प्रतिवादीगण 1 से लगायत 4 ने उसे पढ़वाकर सुन समझकर उसे सही मानते हुऐ उसी दिन अपने अपने हस्ताक्षर प्रत्येक पेज पर किये व अंतिम पेज पर हस्ताक्षर व अगुंठा निशानी कर उसी दिन पब्लिक नोटरी से तस्दीक भी करवा दिया था।

उक्त दस्तावेज के अनुसार प्रतिवादी श्यामसिंह ने ग्राम निम्बेडाकला के खसरा नम्बर 137 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 137/539 रकबा 39 बीघा 1 बिस्वा खसरा नम्बर 139 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 135 रकबा 0 बीघा 10 बिस्वा कुल भूमि 69 बीघा 18 बिस्वा मे 1/4 जो जमीन प्रतिवादी छतरसिंह के नाम थी उसको व खसरा नम्बर 368 रकबा 79 बीघा 15 बिस्वा चाही प्रथम खसरा नम्बर 369 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 370 रकबा 0–06 बिस्वा गै. मु रास्ता कुल खसरा 3 कुल क्षेत्रफल रकबा 81 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा को बिकवाकर करीब 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि की किमत की राशि विक्रय में आयी तमाम राशि प्रतिवादी श्यामसिह ने नकद प्राप्त कर, वाद पत्र की चरण संख्या 1 ए व बी से वर्णित भूमियो में से अपना हक स्वेच्छा से नही रखा, तब से वाद पत्र की चरण संख्या 1–ए व बी में वर्णित भूमियो पर श्री श्यामसिह का कोई कब्जा नहीं रहा और न उनका कोई हक हिस्सा रहा। इसीलिऐ वादग्रस्त भूमियो में प्रतिवादी श्यामसिह का कोई हक नही होने के कारण से वह विभाजन मे हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी प्रभुदान जी स्व. जसकरण जी की प्रथम पत्नि के पुत्र थे इसीलिए उस प्रथम पत्नि के देहान्त के बाद में प्रभुदान जी उनके परिवार से अलग होकर भीलवाडा रहने लग गये। इसीलिए उनका जसकरण जी उनके संयुक्त परिवार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 4 के वादग्रस्त सम्पतियो मे कोई संबंध सरोकार कब्जा हिस्सा नही रहा, इसीलिए स्व. जसकरण जी ने प्रतिवादी प्रभुदान को उक्त फेमेली सेटलमेन्ट रूपी वसीयतनामे मे कोई हिस्सा नही दिया इसीलिए वे बंटवाडा कराने व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

प्रतिवादी श्यामसिह जी ने उपरोक्त प्रकार से अपना हिस्सा प्राप्त किया। उसके बाद वाद पत्र की चरण संख्या 1– ए में वर्णित वादग्रस्त भूमिया 71 बीघा 05 बिस्वा भूमि रही। जिनमे स्व. जसकरण उर्फ जसदान के तीन पुत्र वादी खेतासिह व प्रतिवादी छतरसिह उर्फ बाबुसिह व प्रतिवादी मानसिंह के बीच हिस्से बराबर भूमि बांटकर तीनो पुत्रो को कब्जा सौप दिया, तब से ही वादग्रस्त वाद पत्र के चरण संख्या 1 ए में वर्णित 71 बीघा 05 बिस्वा भूमि मे वादी तथा प्रतिवादी 2 व 3 प्रत्येक का 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार होकर उनके हिस्से के अनुसार काबिज चले आ रहे है। उक्त दस्तावेज के अनुसार ग्राम कुशालपुरा के बेरा शिवसागर की जमीनों मे निहित

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (डूंगर)

जसकरण जी का हिस्सा उन्होने अपने जीवन काल पूर्व में ही बेच दिया, उसमे से केवल शिवसागर बेरा एंव नोकडिया मकान को रखा, जिसमे वादी व प्रतिवादी 2 से 4 का हिस्सा रखा किन्तु कोई भी भाई उक्त सम्पति को बिना तीनो भाईयो की रजामन्दी से किसी भी बाहरी व्यक्ति को बेचान पर रोक लगा दी है। जसकरण जी ने उक्त दस्तावेज फेमेली सेटलमेन्ट कम वसीयतनामा दिनांक 28/8/98 में अपनी अन्तिम इच्छा लिखित रूप से जाहिर कि उनकी स्वर्गवास के उपरान्त वर्णित जमीनो का नामान्तकरण वादी खेताभाई व प्रतिवादी मानसिह व प्रतिवादी छतरसिह के नाम ही किया जावे। इस प्रकार से वादग्रस्त की चरण संख्या 1–ए मे वादी तथा प्रतिवादी 2, 3 का ही प्रत्येक का 1/3 हिस्सा स्व. जसकरण जी के स्वर्गवास के बाद स्वतः उनकी खातेदारी हो चुकी है और तद्अनुसार उनका कब्जा काश्त शान्ति पूर्वक चला आ रहा है। उसके बाद वादी खेताभाई अपने उक्त 1/3 हिस्से में से कुछ जमीन का बेचान मलाराम पुत्र हरजीराम वगैरा को कर दिया व प्रतिवादी छतरसिंह ने भी अपनी उक्त 1/3 हिस्से कि भूमि से कुछ हिस्से का बेचान प्रेमादेवी पत्नि [redacted]राम को कर दिया इसीलिऐ वादी व प्रतिवादी छतरसिंह द्वारा उक्त बेचानसुदा हिस्से के विषय में अन्य सहकाश्तकार प्रेमादेवी व मलाराम वगैरा से कोई विवाद नहीं है इसीलिऐ उन्हे पक्षकार बनाये जाने कि इस मुकदमे में आवश्यकता नहीं है। उक्त आराजी को आगे वाद में वादग्रस्त आराजी से संबोधन किया जायेगा।

उक्त फेमेली सेटलमेन्ट कम वसीयतनामे के तथ्यो को छुपा कर हल्का पटवारी ने प्रतिवादी श्रीमति सुगन कंवर एवं मानसिंह कि मिलीभक्ति से दाखिल खारीज संख्या 1631 भरा उसमे खेताभाई, छतरसिंह, मानसिह के अकेले के स्थान पर गलत व गैर कानूनी रूप से श्री प्रभुदान, श्यामसिह, व श्रीमति सुगनकंवर बेवा जसदान जी का नाम उक्त फेमेली सेटलमेन्ट कम वसीयतनामे की अनदेखी कर भर दिया, किन्तु ग्राम पंचायत कुशालपुरा के पदाधिकारीयो से मिलकर मिलिभक्ति से मानसिह ने छतरसिह, मानसिह, खेताभाई, के साथ श्रीमति सुगनकंवर के हक में नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया। जबकि सुगनकंवर का कोई अधिकार दाखिल खारीज खुलवाने का नहीं था, इसीलिए इसके आधार पर जमाबन्दी मे श्रीमती सुगन कंवर का नाम गलत दर्ज होता आ रहा है। इसी प्रकार से उक्त फेमेली सेटलमेन्ट कम वसीयतनामे की अनदेखी करते हुए वाद पत्र कि चरण संख्या 1 बी में वर्णित भूमियो के विषय में दाखिल खारीज संख्या 1632 मे जसकरण का फौतेदगी दाखिल खारीज में प्रभुदान व सुगन कंवर का नाम भी गलत जोड दिया व ग्राम पंचायत ने खेताभाई, छतरसिह, मानसिह के साथ सुगन कंवर का नाम गलत नामान्तकरण में गलत स्वीकृत कर दिया जिसके आधार पर जमाबंदी मे श्रीमती सुगनकंवर का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है इसीलिऐ वाद पत्र चरण संख्या 1–ए बी मे सुगनकंवर का नाम जमाबन्दी में गलत दर्ज कर दिया गया है। इसीलिऐ दाखिल खारीज संख्या 1631, 1632 मे श्रीमति सुगन कंवर के नाम कि सीमा तक गलत व अवैध है। तथा उसके आधार पर जो जमाबन्दी मे सुगनकंवर का नाम का इन्द्राज गलत व

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (बावर)

अवैध होने के कारण से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त जमाबंदी में वादग्रस्त भूमियोके विषय मे सुगन कवंर का नाम गलत दर्ज होने का फायदा उठा कर प्रतिवादी मानसिह ने सुगनकंवर के द्वारा प्रतिवादी 6,7 कमशः धनपनराज, ओमप्रकाश के ह क मे रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 4/1/11 के द्वारा खसरा नम्बर 368, 370 मे 1/4 हिस्सा गलत बताकर बैचान कर दिया जबकि वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादी सुगनकंवर का कोई हक हिस्सा निहित नहीं था इसीलिऐ उसके द्वारा किया गया बैचानणनामा जो वादी व प्रतिवादी संख्या 3 की जानकारी के बिना चुपचाप बैचाण किया गया है। जो बैचाणनामा स्वतः अवैध प्रभावशून्य एवम् अनाधिकृत है। जबकि इसीलिए प्रतिवादी संख्या 6. 7 को शुरू से मालूम था कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 368, 370 में सुगनकंवर का 1/4 हिस्सा नहीं है और बेचाननामे मात्र वादी तथा प्रतिवादी 2, 3 के अधिकारों पर कुठाराघात करने की नियत से किया गया है, जबकि श्रीमति सुगन कंवर ना तो कब्जा है ना खातेदारी है इसीलिए वह कब्जा नहीं दे सकती थी जबकि बेचाननामे में कब्जा देने व प्रतिफल की राशि देने की इन्द्राज गलत कर दिये है जबकि उक्त बेचाननामा बिना प्रतिफल के है इसीलिऐ उक्त बेचाननामा अवैध व प्रभावशून्य है और वादी व प्रतिवादी 2,3 उक्त बेचाननामे से बाध्य नहीं है तथा उनके प्रत्येक के 1/3 हिस्से होने के विरूद्ध बेअसर है। प्रतिवादी संख्या 6, 7 श्रीमति सुगनकंवर व मानसिंह उक्त गलत इन्द्राजो एवं अवैध बेचाननामे के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिये दिनांक 9/1/11 को आमादा हुए, लेकिन वादी ने उन्हे कब्जा नहीं करने दिया, तब उन्होने धमकी दी की रिकार्ड मे सुगनकंवर का नाम है और सुगन कंवर ने प्रतिवादी संख्या 6, 7 को उक्त भूमि के 1/4 हिस्से का बेचान रजिस्ट्री 6, 7 के हक में करवाई है इसीलिए वे बाहर से आदमी लाकर जबरन कब्जा करके रहेगे इसीलिए वादी ने राजस्व रेकार्ड एवं उक्त बेचाननामे की नकल निकलवाई तब उन्हे दिनांक 11/1/11 को प्रथम बार उपरोक्त गलत व अवैध नामान्तकरण एवं जमाबन्दी के गलत इन्द्राजो व उक्त रजिस्ट्री बेचाननामे की प्रथम बार जानकारी हुई। अतः इस वाद करने की आवश्यकता हुई। उपरोक्त परिस्थितियो मे वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 के हक तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 से लगायत 10 के विरूद स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है अन्यथा वे वादग्रस्त भूमियो में उनके 1/3 हिस्सो में बेदखल कर देगे और उक्त भूमियो को दिगर जिगर खुर्द वुर्द कर देगे। जिससे वादी, प्रतिवादी संख्या 2, 3 को पैसो में ना आके जाने वाली असहनीय व अपूर्णीय क्षति होगी।

वादी के व प्रतिवादी संख्या 2, 3 के हक में तथा प्रतिवादी संख्या 1, 4 से लगायत 10 के विरूद घोषणात्मक डिक्री वादग्रस्त आराजीयात के विषय में पारित कि जाकर वादी को वादग्रस्त भूमियो 1–ए का 1/3 हिस्से अर्थात् 23.68 बीघा में से 13.68 बीघा का तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 अर्थात 23.68 व 3 को 1/3 हिस्से अर्थात् 23.68 में से 5.81 बीघा भूमि का व वादग्रस्त भूमि 1–बी मे जसकरण के हिस्से में वादी को 1/3 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक को

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (व्यावर)

1/3 खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त विषय मे जो नामान्तकरण संख्या 1631, 1632 को सुगन कंवर के नाम खोल दिया गया है उसे तथा उसके आधार पर जो जमाबन्दी मे सुगन कंवर का गलत नाम दर्ज हो गया है, उन सब को अवैध प्रभावशून्य घोषित करते हुए निरस्त किया जावे तथा खातेदारी के कालम में से सुगन कंवर का नाम निरस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे दुरस्ती फरमायी जावे एवं सुगन कंवर द्वारा किये गये उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 4/1/11 को अवैध प्रभावशून्य घोषित किया जावे और उसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 6, 7 के हक में कोई दाखिल खारीज व अमल दरामद नहीं किया जावे व कर दिया जाता है तो उन सब को निरस्त किया जावे। वादी के हक मे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 से लगायत 7 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी सख्या एक व दो स्वयं तथा जरिये उनके नौकर चाकर दोस्त हाली ऐजेन्ट, मुख्तियार रिश्तेदार आदि वादग्रस्त आराजी को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित, परिवर्तित, क्षतिग्रस्त, भारग्रस्त, ऋणग्रस्त नहीं करे न करावे, न उसका रूपान्तरण करावे।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल सुदा प्राप्त हुए हैं जो संलग्न पत्रावली किये गयें। प्रतिवादीगण संख्या 03 छतरसिंह तथा 05 प्रभुदान की ओर से अधिवक्ता श्री भूपैन्द्र सैन ने वकालतनामा मय जबाव पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली हों। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04, 06, 07 की ओर से अधिवक्ता श्री कल्याणसिंह ने वकालतनामा मय जबाव पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 06 व 07 की ओर से अधिवक्ता श्री विकास आसरवा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो पत्रावली संलग्न किया गया। तनकीयात कायम की गई। वादी ने साक्ष्य के रूप में साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। बयान लिये जाकर पत्रावली संलग्न किये गये। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई हैं। वादी अधिवक्ता ने ओर साक्ष्य और गवाह पेश नही करने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी की ओर साक्ष्य के रूप में साक्ष्य का शपथ पत्र प्रतिवादी संख्या 06 श्री धनपतराज की ओर से अधिवक्ता श्री विकास आसरवा द्वारा पेश किया गया। पत्रावली संलग्न किया गया। बयान, कलमबद्ध किये जाकर पत्रावली संलग्न किये गये। जिरह वादी अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता ओर साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए स्व. जसकरण जी उर्फ जसदान पुत्र हनवन्तदान उर्फ हणूतदान जी कौम चारण निवासी कुशालपुरा ने अपने जीवन काल में वादग्रस्त आराजी का पारिवारिक बंटवाडा फैमेली सेटलमेन्ट रूपी वसीयतनामा अपने जीवनकाल में उनके पुत्रगण व पत्नी के साथ दिनांक 28/8/1998 को टाईप करवाकर वादी व प्रतिवादीगण 1 से लगायत 4 ने उसे पढ़वाकर सुन समझकर उसे सही मानते हुए उसी दिन अपने अपने हस्ताक्षर प्रत्येक पेज पर किये व अंतिम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

पेज पर हस्ताक्षर व अगुंठा निशानी कर उसी दिन पब्लिक नोटरी से तस्दीक भी करवा दिया था। उक्त दस्तावेज के अनुसार प्रतिवादी श्यामसिंह ने ग्राम निम्बेडाकला के खसरा नम्बर 137 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 137/539 रकबा 30 बीघा 1 बिस्वा खसरा नम्बर 139 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 135 रकबा 0 बीघा 10 बिस्वा कुल भूमि 69 बीघा 18 बिस्वा में 1/4 जो जमीन प्रतिवादी छत्तरसिह के नाम थी, उसको व खसरा नम्बर 368 रकबा 79 बीघा 15 बिस्वा चाही प्रथम खसरा नम्बर 369 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा गै.मु. बेरा खसरा नम्बर 370 रकबा 0–06 बिस्वा गै. मु. रास्ता कुल खसरा 3 कुल क्षेत्रफल रकबा 81 बीघा 5 बिस्वा भूमि मे से 10 बीघा को बिकवाकर करीब 27 बीघा1 0 बिस्वा भूमि की किमत की राशि विक्रय में आयी तमाम राशि प्रतिवादी श्यामसिंह ने नकद प्राप्त कर वाद पत्र की चरण संख्या 1 ए व बी से वर्णित भूमियो मे से अपना हक स्वेच्छा से नही रखा, तब से वाद पत्र की चरण संख्या 1 ए व बी मे वर्णित भूमियोपर श्री श्यामसिंह का कोई कब्जा नहीं रहा और न उनका कोई हक हिस्सा रहा।

प्रतिवादी श्यामसिंह जी ने उपरोक्त प्रकार से अपना हिस्सा प्राप्त किया उसके बाद वाद पत्र की चरण संख्या 1–ए में वर्णित वादग्रस्त भूमिया 71 बीघा 05 बिस्वा भूमि रही जिनमे स्व. जसकरण उर्फ जसदान के तीन पुत्र मै खेतासिंह व प्रतिवादी छतरसिंह उर्फ बाबुसिह व प्रतिवादी मानसिंह के बीच हिस्से बराबर भूमि बाटकर तीनों पुत्रो को कब्जा सौप दिया, तब से ही वादग्रस्त वाद पत्र के चरण संख्या 1– ए मे वर्णित 71 बीघा 05 बिस्वा भूमि में वादी तथा प्रतिवादी 2 व 3 प्रत्येक का 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार होकर उनके हिस्से के अनुसार काबिज चले आ रहे है। उक्त दस्तावेज के अनुसार ग्राम कुशालपुरा के बेरा शिवसागर की जमीनो में निहित जसकरण जी का हिस्सा उन्होने अपने जीवन काल पूर्व मे ही बेच दिया उसमे से केवल शिवसागर बेरा एंव नोकडिया मकान को रखा जिसमे वादी व प्रतिवादी 2 से 4 का हिस्सा रखा किन्तु कोई भी भाई उक्त सम्पति को बिना तीनो भाईयो की रजामन्दी से किसी भी बाहरी व्यक्ति को बैचान पर रोक लगा दी है।

जसकरण जी ने उक्त दस्तावेज फेमेली सटेलमेन्ट कम वसीयतनामा दिनांक 28/8/98 में अपनी अन्तिम इच्छा लिखित रूप से जाहिर कि उनकि स्वर्गवास के उपरान्त वाद पत्र की चरण संख्या 1–ए मे वर्णित जमीनो का नामान्तकरण वादी खेताभाई व प्रतिवादी मानसिह व प्रतिवादी छतरसिह के नाम ही किया जावे। इस प्रकार से वादग्रस्त की चरण संख्या 1–ए मे तथा प्रतिवादी 2,3 का ही प्रत्येक का 1/3 हिस्सा स्व. जसकरण जी के स्वर्गवास के बाद स्वतः उनकी खातेदारी हो चुकी है और तद्अनुसार उनका कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। उसके बाद मै खेताभाई अपने उक्त 1/3 हिस्से मे से कुछ जमीन का बेचान मलाराम पुत्र हरजीराम वगैरा को कर दिया व प्रतिवादी छत्तरसिह ने भी अपनी उक्त

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

1/3 हिस्से कि भूमि से कुछ हिस्से का बैचान प्रेमादेवी पत्नि केसाराम को कर दिया, इसीलिए वादी व प्रतिवादी छतरसिह द्वारा उक्त बैचानसुदा हिस्से के विषय मे अन्य सहकाश्तकार प्रेमादेवी व मलाराम वगैरा से कोई विवाद नहीं है इसीलिए उन्हे पक्षकार बनाये जाने कि इस मुकदमे में आवश्यकता नही है। उक्त फेमेली सेटलमेन्ट कम वसीयतनामे के तथ्यों को छुपा कर हल्का पटवारी ने प्रतिवादी श्रीमती सुगन कंवर एवं मानसिह कि मिलीभक्ति से दाखिल खारीज संख्या 1631 भरा, उसमे खेताभाई छतरसिह मानसिह के अकेले के स्थान पर गलत व गैरकानूनी रूप से श्री प्रभुदान, श्यामसिंह, व श्रीमति सुगनकंवर बेवा जसदान जी का नाम उक्त फेमेली सेटलमेन्ट कम वसीयतनामे की अनदेखी कर भर दिया किन्तु ग्राम पंचायत कुशालपुरा के पदाधिकारीयों से मिलकर मिलिभक्ति मानसिंह ने छत्तरसिंह, मानसिह, खेताभाई, के साथ श्रीमति सुगनकंवर के हक मे नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया, जबकि सुगनकंवर का कोई अधिकार दाखिल खारीज खुलवाने का नहीं था। इसीलिए इसके आधार पर जमाबन्दी में श्रीमती सुगनकंवर का नाम गलत दर्ज होता आ रहा है। इसी प्रकार से उनका फेमेली सेटलमेन्ट कम वसीयतनामे की अनदेखी करते हुए वाद पत्र कि चरण संख्या 1–बी में वर्णित भूमियों के विषय में दाखिल खारीज संख्या 1632 में जसकरण का फौतेदगी दाखिल खारीज में प्रभुदान व सुगनकंवर का नाम भी गलत जोड दिया व ग्राम पंचायत ने खेताभाई, छतरसिह, मानसिह के साथ सुगनकंवर का नाम गलत नामान्तकरण में गलत स्वीकृत कर दिया, जिसके आधार पर जमाबंदी मे श्रीमति सुगनकंवर का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है। इसीलिए दाखिल खारीज संख्या 1631, 1632 मे श्रीमति सुगन कंवर के नाम कि सीमा तक गलत व अवैध है। तथा उसके आधार पर जो जमाबन्दी मे सुगनकंवर का नाम का इन्द्राज गलत व अवैध होने के कारण से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त जमाबंदी मे वादग्रस्त भूमियो के विषय में सुगनकवंर का नाम गलत दर्ज होने का फायदा उठा कर प्रतिवादी मानसिह ने सुगनकंवर के द्वारा प्रतिवादी 6, 7 कमशः धनपतराज, ओमप्रकाश के हक मे रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 4/1/11 के द्वारा खसरा नम्बर 368, 370 मे 1/4 हिस्सा गलत बताकर बैचान कर दिया, जबकि वादग्रस्त भूमियो में प्रतिवादी सुगनकंवर का कोई हक हिस्सा निहित नही था, इसीलिए उसके द्वारा किया गया बेचाननामा जो वादी व प्रतिवादी संख्या 3 की जानकारी के बिना चुपचाप बेचान किया गया है। अवैध प्रभावशून्य एवम् अनाधिकृत है।

वादी को वादग्रस्त भूमियो 1–ए का 1/3 हिस्से अर्थात् 23.68 बीघा में से 13.68 बीघा का तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 अर्थात 23.68 व 3 को 1/3 हिस्से अर्थात् 23.68 में से 5.81 बीघा भूमि का व वादग्रस्त भूमि 1–बी मे जसकरण के हिस्से में वादी को 1/3 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक को 1/3 खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त विषय मे जो नामान्तकरण संख्या 1631, 1632 को सुगन कंवर के नाम खोल दिया गया है उसे तथा उसके

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आधार पर जो जमाबन्दी मे सुगन कंवर का गलत नाम दर्ज हो गया है, उन सब को अवैध प्रभावशून्य घोषित करते हुए निरस्त किया जावे तथा खातेदारी के कालम में से सुगन कंवर का नाम निरस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे दुरस्ती फरमायी जावे एवं सुगन कंवर द्वारा किये गये उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 4/1/11 को अवैध प्रभावशून्य घोषित किया जावे और उसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 6, 7 के हक में कोई दाखिल खारीज व अमल दरामद नहीं किया जावे व कर दिया जाता है तो उन सब को निरस्त किया जावे। वादी के हक मे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 से लगायत 7 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे

प्रतिवादी अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि मौजा कुशालपुरा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पीपलीया, के खसरा नंबर 368 रकबा 69 बीघा 16 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, व खसरा नंबर 369 रकबा 01 बीघा 04 विश्वा गै.मुबेरा व भूमि खसरा नंबर 370 रकबा 08 बिस्वा गै.गु रास्ता कुल रकबा 71 बीघा 05 बिस्वा स्थित चली आती है तथा खसरा नंबर 367 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा व भूमि खसरा नंबर 371 रकबा 12 बीघा व भूमि खसरा नंबर 381 रकबा 02 बीघा बिस्वा व खसरा नंबर 383 रकबा 36 बीघा कुल रकबा 67 बीघा स्थित चली आती है। उक्त भूमियां राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार खेताभाई व छतरसिंह व मानसिंह की ना होकर केवलमात्र सुगनकंवर पत्नि स्व. श्री जयदान उर्फ जसकरण जी की खातेदारी भूमिया चली आ रही थी। वादग्रस्त भूमियां खतौनी बन्दोवस्त सम्वत् 2011 से 2030 तक श्री जयदान उर्फ जसकरण जी की खातेदारी भूमिया नहीं रही है तथा श्री जसकरण जी चूंकि परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण से उक्त पैतृक अविभाजित भूमियों में उनका नाज दर्ज रहा था उसके कारण से श्री जसकरण जी अकेले खातेदार नहीं है तथा श्री जसकरण जी ने अपने जीवनकाल में तमाम चल अचल सम्पत्तियो व वादग्रस्त कृषि भूमियों का कोई पारिवारीक बंटवारा व सेटलमेंट तहरीर तकमील नहीं किया और ना कोई वसीयत रूपी फैमेली सेटलमेन्ट निष्पादित किया। स्व. श्री जसकरण उर्फ जसराज जी ने विवादग्रस्त कृषि भूमियों को खेताभाई, छतरसिंह व मानसिंह को जरिये फैमेली सेटलमेन्ट के प्रदान नहीं की और न ही कब्जा दिया और न ही वह ऐसा कर सकते थे। इसीलिए वादग्रस्तः भूमियों में वादी खेताभाई व छतरसिंह व मानसिंह का जो प्रत्येक का 1/3 हिस्सा होना व काबिज होना बताया है वह पूर्णतया गलत है। उक्त पारिवारीक बंटवाडा फैमेली सेटललेन्ट रूपी वसीयत करने का भी श्री जसकरण जी उर्फ जसादान को कोई विधिक अधिकार नहीं था तथा उक्त प्रलेख अंपजीकृत दस्तावेज है जो कि कानूनन साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। क्योकि उक्त तथाकथित फैमेली सेटलमेन्ट किसी भी प्रकार से वसीयतनामे की परिभाषा में नहीं आता है, क्योकि उक्त दस्तावेज केवलमात्र स्व. श्री जसाकरण जी के द्वारा तहरीर व तकमील करना ही बताया गया है। वादग्रस्त भूमियों को स्व. श्री जसाकरण जी ने अपनी खुद की जमीन होना बताया है, जबकि वादग्रस्त भूमियां पैतृक व अविभाजित बतायी गयी है जिसमें

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

विषय में विभाजन करने का जसकरण जी को अकेले को कोई अधिकार नहीं है अतः उक्त तथाकथित फैमेली सेटलमेन्ट अवैध अनाधिकृत व प्रभावशून्य दस्तावेज है। वादी के भाई श्री श्यामसिंह व मानसिंह ने भी सहमति पत्र दिनांक 18.01.2011 को वादग्रस्त भूमियों में माता (सुगनकंवर) व भाईयो (खेताभाई व छत्तरसिंह व मानसिंह) का हिस्सा माना है और उसमें से श्रीमती सुगनकंवर का 1/4 हिस्सा होना वताया है वहीं हिस्सा धनपतराज व श्री ओमप्रकाश ने श्रीमती सुगनकंवर से पंजीकृत विक्रयविलेख दिनांक 04.01.2011 के द्वारा क्रय किया है, उस वेचाननामा को सही होना वताया है उससे भी यह पूर्णतया जाहिर होता है कि उक्त तथाकथित फैमेली सेटलमेन्ट विल्कुल झूठा व वनावटी व फर्जी दस्तावेज है और उस दस्तावेज को कहीं पर भी उपयोग में नहीं लिया गया है इसीलिए उक्त दस्तावेज अवैध व प्रभावशून्य है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमिया पैतृक भूमियां थी तथा पैतृक भूमियों का श्री जसकरण जी को वसीयत या वंटवाडा करने का भी कोई विधिक अधिकार नहीं था। श्री जसकरण जी की मृत्यु के पश्चात् कोई भी नामान्तरण हल्का पटवारी व सरपंच से मिलकर किसी भी तथ्य को छिपाकर नामान्तकरण संख्या 1631 ग्राम कुशालपुरा का स्वीकृत नहीं कराया किस पटवारी व सरपंच कव मिलीभगती करवाई, उसकी तारीख व उक्त पटवारी व सरपंच का नाम व स्थान नहीं वताया गया है और ना अपनी जानकारी का स्त्रोत बताया गया है, तथा खेताभाई व छतरसिंह व मानसिंह का अकेलो का कब्जा होना बताया है वे तथ्य भी बिल्कुल गलत व असत्य है। श्रीमती सुगन कंवर का शुरू से ही वादग्रस्त भूमियों पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा खेताभाई व छतरसिंह व मानसिंह का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा व कब्जा होना बताया गया है वह भी गलत व असत्य है। इसी प्रकार से नामान्तरण संख्या 1631 किसी भी प्रकार से अवैध व गैरकानूनी नहीं है और न ही निरस्त किये जाने योग्य है बल्कि उक्त दाखिल खारिज जो कि श्रीमती सुगनकंवर की सीमा तक खोला गया है वह पूर्ण रूप से विधिवत् व न्यायोचित है। वादग्रस्त भूमियों पर खेताभाई व छतरसिंह व मानसिंह कभी भी काबिज नहीं रहे व ना ही अकेले ही हिस्सेदार ही है, बल्कि श्रीमती सुगनकंवर भी वादग्रस्त भूमियों की सहहिस्सेदार हो गई और उसका कब्जा शुरू से ही चला आ रहा था तथा श्रीमती सुगनकंवर ने अपनी कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार अपना हिस्सा जो धनपतराज व श्री ओमप्रकाश को दिनांक 04.01.2011 के द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र के प्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दी और श्रीमती सुगनकंवर के हिस्से पर धनपतराज व श्री ओमप्रकाश को काबिज करवा दिया जो विधिवत् व कानूनी है और धनपतराज व श्री ओमप्रकाश जी उक्त श्रीमती सुगनकंवर के हिस्से के खातेदार व काबिज वादग्रस्त भूमियों में हो चुके थे इसीलिए सम्पादित उक्त बेचाननामा किसी भी प्रकार से नल एण्ड वोईड नहीं है. इसीलिऐ उसे कानूनन भी निरस्त नहीं करवाया जा सकता है। श्रीमती सुगनकंवर ने अपने हिस्से की भूमियों को ही धनपतराज व श्री ओमप्रकाश जी को विक्रय की थी जो बेचान किसी भी प्रकार से अवैध व प्रभावशून्य नहीं है,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (प्यावर)

दिनांक 09.01.2011 को धनपतराज व श्री ओमप्रकाश व श्रीमती सुगनकंवर ने कभी भी कोई धमकी नहीं दी है बल्कि धनपतराज व श्री ओमप्रकाश के हक में किये गये बेचाननाने की पूर्ण जानकारी खेताभाई को प्रारम्भ से ही चली आ रही थी और यह भी जानकारी थी कि श्रीमती सुगनकंवर का 1/4 हिस्सा है, जो श्रीमती सुगनकंवर ने धनपतराज व श्री ओमप्रकाश को बेचान कर दी। वादग्रस्त भूमियों में स्व. श्री जसाकरण जी के उत्तराधिकारीयान प्रभूदान, श्यामसिंह का किसी भी भाग पर कब्जा नहीं है, बल्कि ग्राम निम्बेडा कलां के खसरा नंबर 137 व खसरा नंबर 137/539 व खसरा नंबर 139, 135 को बेचान कर उसकी विक्रय राशि श्यामसिंह को बाले बाले देकर उसके हिस्से की पूर्ति कर दी गई थी, और प्रभुदान को ग्राम कालू केकीन में स्थित जसदान की जमीने हिस्से में देकर जसाकरण जी ने अलग कर दिया था. उसको प्रभूदान ने दीगर लोगो को बेचान कर उसकी राशि प्राप्त कर अपने हिस्से की पूर्ति कर ली, इसीलिए श्यामसिंह व प्रभूदान का वादग्रस्त भूमियों में कोई हक हिस्सा नहीं रहा। वादी ने वादग्रस्त कृषि भूमि में अपना 1/4 हिस्सा ही बताया है, जो कि वादी की स्पष्ट स्वीकृति है. जिससे कि वादी पलट नहीं सकता है, साथ ही वादी ने अपनी जमीन जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के वादग्रस्त भूमि पर अपना 1/4 हिस्सा बताते हुये बेचान की है, जिससे भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमियों में वादी का 1/4 हिस्सा ही चला आता है।

वादी के भाई श्री श्यामसिंह व मानसिंह ने भी सहमति पत्र दिनांक 18.01.2011 को वादग्रस्त भूमियों में माता (सुगनकंवर) व भाईयो (खेताभाई व छत्तरसिंह व मानसिंह) का हिस्सा माना है और उसमें से श्रीमती सुगनकंवर का 1/4 हिस्सा होना बताया है वहीं हिस्सा धनपतराज व श्री ओमप्रकाश ने श्रीमती सुगनकंवर से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 04.01.2011 के द्वारा क्रय किया है, उस बेचाननामा को सही होना बताया है इसीलीए वादी का वाद भारी कोष्ट के साथ खारिज किया जावें।

उभयपक्ष बहस अधिवक्ता की सुनी गई। बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर लाए गए तथ्यों एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजी में वादीगण द्वारा वादपत्र को साबित करने के लिए कोई पंजीकृत दस्तावेज पेश नहीं किये गये, मात्र फैमिली सेटलमेन्ट रूपी अपंजीकृत वसीयतनामा पेश किया हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में भी कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये हैं। वादपत्र में अंकित प्रदर्श संख्या 06 पर संलग्न पंजीकृत दस्तावेज में श्रीमती सुगनकंवर का 1/4 हिस्सा होना बताया है वहीं हिस्सा धनपतराज व श्री ओमप्रकाश को श्रीमती सुगनकंवर से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 04.01.2011 के द्वारा क्रय किया है जिसका प्रतिफल भी सुगनकंवर ने प्राप्त किया हैं। वादी खेताराम ने अपने बयान में पंजीकृत दस्तावेज से अपना हिस्सा 1/4 बेचान किया जाना स्वयं स्वीकार किया हैं। प्रतिवादीगण के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 1631, 1632 में की गई मिलीभगत के संदर्भ में कोई

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (बाबर)

दस्तावेजी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादी अधिवक्ता के जबाव व बहस अनुसार विवादित आराजी पैतृक भूमि हैं जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती । वादी ने प्रतिवादीगण के तथ्यो का अस्वीकार करने के लिए भी कोई ठोस साक्ष्य सबूत इत्यादि भी पेश नहीं किये है, जिससे वादी का वाद स्वीकार किया जा सकें। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत दस्तावेज के सबंध में भी वादी द्वारा कोई प्रतिकूल दस्तावेज या पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाने का भी प्रमाण नही दिया हैं। इससे साफ जाहिर होता हैं कि वादी का वाद किसी भी स्तर पर चलने योग्य नही हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वादपत्र पोषनीय नहीं पाये जाने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण अस्वीकार किया जाकर मौजा कुशालपुरा भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पीपलिया तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 368 रकबा 69 बीघा 15 बिस्वा चाही प्रथम, खसरा नम्बर 369 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 370 रकबा 0–06 बिस्वा गै. मु. रास्ता, खसरा नम्बर 367 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा चाही प्रथम, खसरा नम्बर 371 रकबा 12 बीघा चाही प्रथम व खसरा नम्बर 381 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा चाही प्रथम व खसरा नम्बर 383 रकबा 36 बीघा चाही प्रथम में वादी द्वारा पेश वादपत्र पोषनीय नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(सुमित्रा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)